



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 143 / 12-1(2), कौटवंगला दिनांक 07/07/2018

श्रीमान,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी।

Days - 17/08/2018
Date - 10/7/2018

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा-स्यालना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.874 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-80/X-4-18/1(20)/2018 दिनांक 23.02.2018 तथा आपका पत्रांक-2225/वन भूमि दिनांक 20.06.2018।

महोदय,

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना का निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लेखित शर्त सं०-1 के अनुसार मार्ग के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लेखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित धनराशि तथा शर्त सं०-2 के अनुसार एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि का चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कार्य करें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मार्ग के रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु।	3.50 कि०मी०	4,17,827.00	14,62,394.50
2	एन०पी०वी०	0.874 हे०	घनत्व-0.1 दर- 6,57,000.00	5,74,218.00

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

540/त न प 10/7/18
र अतिरिक्त मुद्रांक को मिला सूचित करें।
9/7/18

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।